खंड २ संख्या १३

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि १६ जून १९६९

सत्यमेव जयते

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना
द्वारा मुद्रित
१९६०

[मूल्य—३७ पैसे]

विवरणी "क"।

उन विभागों, कार्यालयों की सूची जिनसे दिनांक ३० मई १९६९ तक संयुक्त संवर्ग निर्माण संबंधी अपेक्षित सूचना प्राप्त नहीं हुई है :—

(१) राजनीति (विशेष) विभाग।
(२) राजस्व विभाग।
(३) श्रम एवं नियोजन विभाग।
(४) राज्य नियोजन निदेशालय।
(५) शिक्षा विभाग।
(६) कृषि एवं पशुपालन विभाग (कृषि शाखा)।
(७) कृषि (मत्स्य) विभाग।
(८) खनन एवं भूतत्व विभाग।
(९) स्थानीय स्वायत्त-शासन विभाग।
(१०) लोक-निर्माण विभाग।
(११) ग्राम पंचायत विभाग।
(१२) नदी-घाटी योजना विभाग।
(१३) सामुदायिक विकास विभाग।
(१४) राजस्व पर्षद्।
(१५) अपराध अनुसंधान विभाग (विशेष शाखा)।
(१६) आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार।
(१७) निदेशक, जन-सम्पर्क।
(१८) निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय, पटना।

कर्मचारियों के लिये संयुक्त संवर्ग को लागू करना

२४३। श्री चतुर्भुज प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सहायकों को प्रोन्नति का अवसर सामान्य रूप से देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा सचिवालय तथा संलग्न कार्यालयों के सहायकों का एक संयुक्त संवर्ग बनाने के बारे में वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या ९५७१-वि०, दिनांक २४ जुलाई १९६७ द्वारा आदेश निर्गत किया गया था तथा इसके बारे में वित्त विभाग द्वारा भिन्न-भिन्न विभागों से दिनांक २० अगस्त १९६७ तक ही सूचनायें मांगी गई थीं ;

(२) क्या यह बात सही है कि उक्त आदेश के बावजूद संयुक्त संवर्ग लागू नहीं किया गया है और भिन्न-भिन्न विभागों द्वारा पहले की जैसा अपने विभाग के सहायकों को प्रोन्नति दी जा रही है ;

(३) क्या यह बात सही है कि संयुक्त संवर्ग को लागू करने के बारे में वित्त विभाग द्वारा तत्परता नहीं दिखाई जा रही है और दिनांक २० अगस्त १९६७ के बाद भिन्न-भिन्न विभागों को वित्त विभाग द्वारा केवल एक ही बार स्मार-पत्र दिया गया है ;

(४) यदि उपर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार संयुक्त संवर्ग संबंधी अपने निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वित्त विभाग से अलग एक अन्य विभाग जैसे नियुक्ति विभाग के अन्तर्गत एक प्रकोष्ट स्थापित करना चाहती है; यदि हां, तो कबतक, यदि नहीं, तो क्यों ?

मंत्री, वित्त विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है । ३ जुलाई १९६७ को एक आदेश द्वारा सभी विभागों और सम्बद्ध विभागाध्यक्षों का कार्यालयों को सूचित कर दिया गया है कि तिथि २९ मई १९६७ के बाद से सहायकों की दी गयी प्रोन्नति संयुक्त संवर्ग बनाने में मान्य नहीं होगी । उसी बात की सूचना और एक आदेश में जिसमें वरीयता निर्धारण के लिये प्रतिवेदन भेजने के लिये कहा गया था उससे भी दी गयी थी ।

(३) तिथि २० अगस्त १९६७ तक प्रतिवेदन में सूचना वित्त विभाग में प्राप्त होना था । इसके बाद एक स्मार अक्टूबर १९६७ और दिसम्बर १९६७ को एवं प्राप्त सामग्रियों की छान-बीन के बाद दो और स्मार और स्पष्टीकरण संबंधी पत्र अप्रील और मई १९६९ में भेजे गये हैं । संयुक्त संवर्ग के बनाने के लिये सभी विभागों एवं सम्बद्ध विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के सहायकों तथा प्रशाखा प्रधानों की वरीयता निर्धारण करना है । इसमें बहुत पुराने कागजानों को खोज निकाल कर सही सूचनायें प्राप्त करनी पड़ती हैं और सम्बद्ध विभागों और विभागाध्यक्षों द्वारा दी गयी सूचनाय की जांच करनी पड़ती है । यह अत्यन्त सतर्कता एवं परिश्रम के साथ करना पड़ता है और संतोषजनक रूप से इसे किया जा रहा है ।

(४) कंडिका (३) के उत्तर के संदर्भ में प्रश्न नहीं उठता ।

श्री केदारनाथ श्रीवास्तव पर आरोप

३४४ । श्री अम्बिका प्रसाद—क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री केदारनाथ श्रीवास्तव, प्रशाखा पदाधिकारी, उद्योग विभाग की आयु जनवरी १९६८ में ही ५८ वर्ष की हो गयी है ;

(२) क्या यह बात सही है कि उनकी सेवा-पुस्तिका में अंकित जन्म-तिथि में इन्टरपोलेशन के कारण अभी तक सरकारी सेवा में हैं ;

(३) क्या सरकार उनकी सेवा-पुस्तिका को उनके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट से जांच कराना चाहती है ;

(४) यदि उपर्यक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार पुस्तिका में इस तरह की गड़बड़ी के लिये उन्हें दोषित ठहराना चाहती है ;

(५) क्या सरकार उनको ५८ वर्ष होने की तिथि से रिटायर करना चाहती है, उनका पेंशन बन्द करना चाहती है, यदि हां तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

मंत्री, उद्योग विभाग—(१) उत्तर नकारात्मक है ।

(२) उत्तर नकारात्मक है ।